

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01/2025

प्रकरण क्रमांक– N-PRO-2025-00013

आवेदक : चौहान संजय सिंघा एवं चौहान साम्या सिंघा, पिता-चौहान सरोज कुमार सिंघा, पता-प्लॉट नं.-1800, ग्राम-मूली सिंघ, सिंध साही क्लब के पास, पोस्ट-हरिसिंगपुर, व्हाया-कनकपुर, जिला-जगतसिंगपुर (उड़ीसा) विरुद्ध (1) मुख्य संपदा अधिकारी, पता-पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (2) कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिवीजन-2, शंकर नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट – “सामान्य आवास योजना”, पता-पिरदा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही   | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 07/07/2025                      | <p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– आवेदक स्वतः उपस्थित।</p> <p>– अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री अशोक मजूमदार उपस्थित।</p> <p>आवेदक द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-71 के अंतर्गत (प्रारूप-ढ) आवेदन प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त अन्य कमियों के संबंध में उल्लेख कर कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा उल्लेखित कमियों के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 के अंतर्गत प्रारूप-ड में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें प्राधिकरण द्वारा आवेदक के आवेदन पर उभय पक्षों को सुनवाई कर अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के कमियों के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्षतिपूर्ति हेतु उचित आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रकरण को वापस लेकर भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 के अंतर्गत प्रारूप-ड में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>आवेदक के निवेदन से सहमत होकर भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 के अंतर्गत प्रारूप-ड में आवेदन प्रस्तुत का अवसर प्रदान करते</p> |                                     |

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 01/2025

प्रकरण क्रमांक- N-PRO-2025-00013

आवेदक : चौहान संजय सिंघा एवं चौहान साम्या सिंघा, पिता-चौहान सरोज कुमार सिंघा, पता-प्लॉट नं.-1800, ग्राम-मूली सिंघ, सिंध साही क्लब के पास, पोस्ट-हरिसिंगपुर, व्हाया-कनकपुर, जिला-जगतसिंगपुर (उड़ीसा) विरुद्ध (1) मुख्य संपदा अधिकारी, पता-पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (2) कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिवीजन-2, शंकर नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट - "सामान्य आवास योजना", पता-पिरदा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही   | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर          |
|---------------------------------|---|--|
|                                 | <p>हुये प्रकरण खारिज किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / -<br/>(धनंजय देवांगन)<br/>सदस्य</p> | <p>सही / -<br/>(संजय शुक्ला)<br/>अध्यक्ष</p> |